


25⁰⁶/₂₁ पी.ओ. साहय अवकाश/स्थानान्तरण/प्रवास/नोटिस
पर होने से दिनांक: 26.05.2021 को पेश है।
Pam

26⁰⁸/₂₁ अ

11⁰⁸/₂₁ प्रार्थना पत्र वादी द्वारा प्रस्तुत बाढ़ विज्ञो लिखे जाने हेतु ब मिसल तलब करने हेतु अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 व धारा 151 C.P.C. प्रस्तुत होने पर पत्रानली आज पेश हुई। बकील प्रार्थी ने प्र.पत्र प्रस्तुत कर कथन किया की उक्त अनबली प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया था जिसमे पञ्जायन् के बीच अपनी आयपीघात को लेकर यजीगामा हो चुका है और उन्होने सहमति से अपनी अग्रणी का निष्पान कर लिया है इस कारण वादी अपने द्वारा प्रस्तुत बाढ़ में अगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है और बाढ़ को विज्ञो करना चाहता है। इसके लिखे वादी की दोर से यह प्र.पत्र प्रस्तुत किया है। अतः वादी का प्र.पत्र स्वीकार परमाधा जाकर बाढ़ वादी विज्ञो करने की अनुमति प्रदान करने की वृथा करें।

बकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्र.पत्र स्वीकार किया जाकर बाढ़ वादी ~~स्वीकार~~ विज्ञो किया जाता है। पत्रानली विधिगत शुमार होकर दफ्तर दायित हो एवं निगमानुसूचक नम्बर से नम हो।


उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टॉक)